

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.  
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 ग्राम पंचायत भवन बलाऊ

प्रार्थीगण  
1 कमाल पुत्र सफी मौहम्मद जाति  
मुसलमान निवासी बलाऊ तहसील एवं  
जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 हरलाल पुत्र राणा 2 सोनाराम पुत्र  
दीवानराम जातियान सांसी 3 आचार  
खान पुत्र अमीन खान 3 मेहताबसिंह पुत्र  
जवारसिंह जाति राजपूत 4. आचार खां  
पुत्र अमीन खां 5 हुसैन खान पुत्र जुम्मा  
खां 6 चेतनराम पुत्र मेहराराम 7  
चैनाराम पुत्र मेहराराम 8 रतनाराम पुत्र  
रेखाराम 9 श्रीमती मानी पत्नी ठाकराराम  
10 मदाराम पुत्र किरपाराम जातियान  
जाट निवासीयान बलाऊ तहसील एवं  
जिला बाड़मेर 11 तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्  
राजस्व आवेदन संख्या-352/2019 दिनांक-14.10.2021

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बलाऊ पटवार क्षेत्र राणीगांव तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 55 रकबा 0.04 बीघा किस्म गै.मु. खसरा नंबर 256/56 रकबा 15.13 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 258/56 रकबा 15.00 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 259/56 रकबा 30.00 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 261/65 रकबा 95.02 बीघा कुल रकबा 155.19 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)  
बाड़मेर

दिनांक- 14/10/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6039-6042  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी राणीगांव तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी कमाल पुत्र सफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बलाऊ तहसील एवं जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण हरलाल पुत्र राणा वगैरह जातियान सांसी/राजपूत/मुसलमान/जाट निवासीयान बलाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)  
बाड़मेर